**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)**
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.— 05 / 2024

डॉ. एस आर. शिक्षा एवं शोध संस्थान राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू जरिये वर्तमान अध्यक्ष रमेश पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी बागा पड़ता तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

— प्रार्थी —

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.**

दिनांक 09/01/24

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी कि संस्था के नाम कृषि भूमि रोही ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1157/605 तादादी 0.5690 हेक्टेयर हैं। जिसमें जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए अंकित है। जो गलत है, जबकि जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण खातेदार के लिए सही हैं। प्रार्थी को संस्थागत होने वाले लाभों व कन्वर्जन करवाने में कठिनाईया हो रही है। जीमन चेंज में गलत होने के कारण संस्थागत होने वाले लाभों व कन्वर्जन करवाने में कठिनाईया हो रही है। अब प्रार्थी जमावन्दी में जीमन चेंज करवाना चाहता है। जमावन्दी में जीमन चेंज दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1157/605 तादादी 0.5690 हेक्टेयर में जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण खातेदार के लिए किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र पर आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक सात्यूं के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण खातेदार के लिए दुरूस्त करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए की जगह खातेदार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.निरीक्षक सात्यूं की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पंत्र की पुष्टि करती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही ब्रह्मनगर तहसील तारानगर के खसरा सं. 1157/605 तादादी 0.5690 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में जीमन चेंज हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए delete कर इसके स्थान पर खातेदार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/1/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)